Conversion of Tribals to Christianity

976. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that in the drought affected tribal areas of Madhya Pradesh Christian Missionaries in the garb of relief measures are forcing the Tribals to convert their religion to Christianity;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what remedial action Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) (a) to (c) Facts are being collected from the State Government.

Foreigners in Delhi

977. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of foreigners residing in Delhi with valid visas;

(b) the number of foreigners residing in Delhi with Indian citizenship; and

(c) when the last check up was made for verification of foreign nationals living in Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) 15647.

(b) A foreigner who obtains Indian citizenship cannot be termed as foreign national subsequently.

(c) State Governments/Union Territory Administrations have instructions to check and monitor the stay and movement of foreign nationals under the laws relating to foreigners.

Visit of Home Minister to Jammu and Kashmir

978. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his visit to Rajouri and Poonch sectors in Jammu and Kashmir on 18-4-92 was private or official;

(b) the number of defence aircraft and helicopters deployed in this visit from Delhi to Jammu and further to Rajouri and Poonch and back and the expenditure incurred hereon; and

(c) the names of the persons who accompanied him on this visit?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (c) The tour of the Union Home Minister to Rajouri and Poonch was official. IAF aircraft was not used for transportation from Delhi to Jammu. However, IAF helicopters were used for visiting the border areas including Rajouri and Poonch, and back to Jammu, the payment for which will be made on receipt of the bill from the Ministry of Defence. The Union Home Minister, during his visit to the border areas, was accompanied by the Governor of Jammu & Kashmir, officials of the Central and State Government amongst others.

छंटनी किए गए जनगणना कार्य से जुड़े कर्मचारियों का पुनर्नियोजन

979. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 और 1991-92 की जनगणनाओं की समाप्ति पर अलग-अलग राज्य वार कितने-कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई थी,

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

(ख) क्या छंटनी किये गये कर्मचारियों ने 1984 में या इसके आस-पास छंटनी के विरुद्ध न्यायालय से सुरक्षा मांगने के लिये इलाहबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड-पीठ में याचिका दायर की थी यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सरकार को भी छंटनी किये गये कर्मचारियों से उन्हें पुनः रोजगार दिए जाने के संबंध में कोई ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि, हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में यदि कोई नीती बनायी है अथवा कोई निर्णय लिया है, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस मानवीय समस्या के हल में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार को कौन-कौन सी कठिनाइंया पेश आ रही हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 1981 और 1991 की जनगणनाओं का कार्य क्रमशः 31 मार्च, 1981 और 31 मार्च, 1991 को पूरा हुआ । जनगणनाओं से संबंधित क्षेत्रिय कार्य के लिए आम तौर पर विद्यालयों के अध्यापकों, सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकायों आदि के कर्मचारियों में से अंशकालिक प्रगणक और सुपरवाइजर लिए जाते है । प्रधान जनगणना अधिकारियों, जिला अधिकारियों तथा चार्ज अधिकारियों जैसे सुपर-वाइजरी अधिकारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से लिए जाते हैं और वे अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त जनगणना संबंधी कार्य करते हैं । अतः इन कर्मचारियों की छंटनी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ख) क्षेत्रीय कार्यों के दौरान एकत्र किए गए जनगणना आंकड़ों के मैनुअल सारणीकरण और सम्पादन के लिए विशिष्ट अवधि और विशिष्ट कार्य के लिए पूर्णतः अस्थाई कर्मचारियों की भर्ती की जाती है । कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात इसके लिए स्थापित अस्थायी कार्यलयों को बंद कर दिया जाता है तथा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया जाता है । उत्तर प्रदेश के 930 ऐसे पूर्णतः अस्थाई कर्मचारी, जिनकी जून, 1984 में छंटनी कर दी गई थी, ने इलाहबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में 1984 की रिट याचिका संख्या 3235 दाखिल की । 16-7-1984 को दिए गए अपने निर्णय में न्यायालय ने भारत संघ को निदेश दिए कि इन छंटनीशुदा कर्मचारियों को छोड़कर, जनगणना विभाग में अन्य किसी नए उम्मीदवार की नियुक्ति न की जाए । 30-6-1984 को छंटनी किए गए इन कर्मचारियों में से 439 कर्मचारी जनगणना के बाद मैनुअल सारणी-करण कार्य के लिए संविदा के आधार पर नियत वेतन पर अब तक नियुक्त किये जा चुके हैं ।

(ग) और (घ) सरकार को छंटनी शुदा इन कर्मचारियों से उन्हें सरकारी कार्यलयों में खपाने/रोजगार देने के लिए समय-समय पर ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । जनगणना आंकड़ों के मैनुअल सारणीकरण का कार्य करने के लिये, अल्पावधि के लिए भारी संख्या में पदों का सृजन किया जाता है तथा नियत वेतन पर इन पदों पर भर्ती की जाती है । इस कार्य के पूरा हो जाने पर इन नियुक्तियों को समाप्त कर दिया जाता है । ये अस्थाई नियुक्तियां इस स्पष्ट धारणा के आधार पर की जाती है कि ये नियुक्तियां पूर्णतः अल्पावधि के लिए हैं तथा पदधारी का सरकार में नियमित नियुक्ति पाने का कोई दावा नहीं होगा उक्त नीति के अनुसार 1981 की जनगणना के समय नियुक्त किए गए व्यक्तियों की भी छंटनी कर दी गई थी । तथापि मानवता के आधार पर विचार करने के पश्चात् छंटनी शुदा इन कर्मचारियों को आयु में छूट तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार में तृतीय वरीयता देने के तौर पर कुछ छूट प्रदान की गई । संबंधित कर्मचारी इन छूटों

का लाभ उठा सकते हैं । सरकार के लिए भारी संख्या में ऐसे व्यक्तियों को उनके लिए तदनुरूपी कार्य का सृजन किए बगैर स्थाई आधार पर खपा पाना संभव नहीं है ।

दिल्ली में चोरी और सेंधमारी

980. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18 फरवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार इन्द्रप्रस्थ थाना, मध्य जिला दिल्ली में चोरी और सेंधमारी की कितनी घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की गई ,

(ख) इन घटनाओं की जानकारी देने वाले व्यक्तियों के नाम और पते क्या-क्या हैं और इन घटनाओं में अलग-अलग कितने मूल्य की वस्तुओं की चोरी हुई है;

(ग) प्रत्येक मामले में कितने अपराधी अन्तर्ग्रस्त हैं 15 अप्रैल, 1992 तक पुलिस ने कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और प्रत्येक मामले में पुलिस द्वारा कितने मूल्य की वस्तुएं पुन: प्राप्त कर ली गई थीं; और

(घ) प्रत्येक मामले में अन्तर्ग्रस्त अपराधियों के अलग-अलग नाम और पते क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 1 फरवरी, 1992 को इन्द्रप्रस्थ एस्टेट थाने में चोरी का एक मामला सूचित हुआ था । उक्त पुलिस थाने में सेंधमारी की कोई घटना सूचित नहीं हुई ।

(ख) दिनांक 18-2-92 को श्री अनूप अरोड़ा नामक एक व्यक्ति, निवासी मकान संख्या 4079 कूचा दिलवाती सिंह, अजमेरी गेट, दिल्ली, ने अपने गोदाम से स्वचालित फायर अलार्म घंटी के सामान की चोरी होने की सूचना दी थी। चोरी किए गए सामान का मूल्य 45,000/- रु० है ।

(ग) और (घ) अभी तक कोई गिरफ्तारी/बरामदगी नहीं की गई है ।

Fire Accidents in Delhi

981. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the fire accidents in Delhi are on the increase and during the year 1991 there has been toll of 270 lives and loss of property worth more than Rs. 14 crores due to fires;

(b) if so, what are the reasons therefor indicating details of each incident in 1991 and upto the March, 1992 in Delhi;

(c) whether the Special Inspection Campaign for fire safety has recently been launched by the Delhi Fire Service and if so, whether more than 800 high rise buildings and 200 sky scrappers would be recovered under this inspection;

(d) whether any record of issuing of certificates of fire safety in respect of above building is available; if not, the reasons therefor and details of safety measures proposed to be taken so far in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : (a) to (d) The Delhi Fire Service has reported that during 1991, there were 8091 fire calls. 105 persons lost their lives due to fires. The precise amount of property damaged has not been ascertained. The main causes of fire were short circuiting, drop light, naked flame, sparks, fire works etc. A special campaign was recently launched by the Delhi Fire Service to inculcate fire consciousness amongst the people. During the campaign, the Delhi Fire Service inspected 165 high rise buildings to check whether the in-built fire protection system in these buildings was properly maintained. The Delhi Fire Service maintains a record of certificate of fire safety.